

रत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3544
उत्तर देने की तारीख: 21.12.2015

आईआईटी में रिक्तियां

3544. डॉ. उदित राज:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर में स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध अस्थायी कामगारों को नियमित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़बिन इरानी)

(क) से (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर का शासी निकाय जो सभी प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण है, ने दिनांक 26.09.2015 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ संस्थान में कर्मचारियों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति को नियमित करने की पद्धति को अनुमोदित किया:

- i. पात्र कर्मचारी नियुक्ति की तारीख से और/अथवा उच्च पद ग्रहण करने की तारीख से स्व-मूल्यांकन कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- ii. रिपोर्टिंग प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी से फीडबैक प्राप्त करना।
- iii. मूल्यांकन समिति द्वारा वैयक्तिक साक्षात्कार। समिति की संरचना वही होगी जो पद भर्ती/नियुक्ति के लिए समिति की थी और इसमें बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।
